पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–17] रुड़की, शनिवार, दिनांक 17 सितम्बर, 2016 ई0 (भाद्रपद 26, 1938 शक सम्वत्) [संख्या–38

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	461–474	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	665–670	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	223	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–1

स्थानान्तरण/तैनाती आदेश

26 अगस्त, 2016 ई0

संख्या 1823/X–1–2016–14(10)/2014–भारतीय वन सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष कॉलम–2, में उल्लिखित पद से कॉलम–3 में उल्लिखित पद पर स्थानान्तरित करते हुए तैनात किया जाता है:–

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान तैनाती	एतद्द्वारा तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1.	श्री डी0 जे0 के0 शर्मा, अपर प्रमुख वन संरक्षक/ परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध, निदेशालय, देहरादून	अपर प्रमुख वन संरक्षक, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, देहरादून	श्री आर0 एन0 झा, मुख्य वन संरक्षक, अपर प्रमुख वन संरक्षक के अधीन/निर्देशन में कार्य करेंगे
2.	श्रीमती नीना ग्रेवाल, मुख्य वन संरक्षक, नमामि गंगे परियोजना	परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय, देहरादून	प्रतिनियुक्ति पर, श्री डी0 जे0 के0 शर्मा के स्थान पर
3.	श्री संतोष विजय शर्मा, मुख्य वन संरक्षक, सतर्कता विधि प्रकोष्ठ एवं वन अग्नि प्रबन्धन, हल्द्वानी	मुख्य वन संरक्षक, नमामि गंगे परियोजना	प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड के अधीन/निर्देशन में कार्य करेंगे
4.	श्री प्रेम शंकर श्रीवास्तव, मुख्य वन संरक्षक/ क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम	मुख्य वन संरक्षक, सतर्कता विधि प्रकोष्ठ एवं वन अग्नि प्रबन्धन, हल्द्वानी	श्री संतोष विजय शर्मा के स्थान पर

2. उक्त अधिकारीगणों को निर्देशित किया जाता है कि वे कृपया तत्काल अपने नवीन तैनाती के पद पर, कार्यभार ग्रहण कर, कार्यभार ग्रहण प्रमाणक शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

पूर्व में निर्गत शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

एस0 रामास्वामी,
अपर मुख्य सचिव।

गृह अनुभाग–1

विज्ञप्ति/पदोन्नति

30 अगस्त, 2016 ई0

संख्या 1178/XX(1)–2016–3(12)/2014–उत्तराखण्ड प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग के पुलिस उपाधीक्षक, वेतनमान (₹ 15,600–39,100, ग्रेड पे ₹ 5,400), के पद पर प्रोन्नति कोटे की चयन वर्ष 2016–17 की रिक्तियों के विरुद्ध उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में आयोजित चयन समिति की बैठक दिनांक 28.07.2016 को नियमित चयन हेतु की गयी संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल महोदय, निम्नलिखित स्थायी पुलिस निरीक्षकों को पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नत करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष के लिए परिवीक्षाकाल पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0 सं0	नाम	अभ्युक्ति
1.	श्री बसंती लाल मधवाल	श्री प्रताप सिंह चौहान, पुलिस उपाधीक्षक के दिनांक 31.08.2016 की सेवानिवृत्ति से उत्पन्न होने वाली रिक्ति के सापेक्ष
2.	श्री खुशहाल सिंह बिष्ट	श्री गजेन्द्र सिंह रौतेला, पुलिस उपाधीक्षक के दिनांक 31.08.2016 की सेवानिवृत्ति से उत्पन्न होने वाली रिक्ति के सापेक्ष

2. उक्त सूची में उल्लिखित अधिकारी अपने नाम के सम्मुख स्तम्भ–3 में अंकित अभ्युक्ति में वर्णित अधिकारियों के सेवानिवृत्ति के उपरान्त उत्पन्न होने वाली स्पष्ट रिक्ति की तिथि से पदोन्नत किये जा रहे पद पर कार्यभार ग्रहण करते हुए अनुपालन आख्या शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

3. उपरोक्त पदोन्नति मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 1738 (एस/एस)/2012, में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये जाने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

अधिसूचना

प्रकीर्ण

03 सितम्बर, 2016 ई0

संख्या 1169/XX-1/2016–1(36)2004–श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम, 2007 (अधिनियम सं0 1, सन् 2008) की धारा 87 के अधीन शक्ति और इस निमित्त अन्य समस्त समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके और इस निमित्त जारी किये गये समस्त विद्मान नियमों का अधिक्रमण करके उत्तराखण्ड पुलिस के कुशल खिलाड़ियों की बिना पारी पदोन्नति एवं विनियमितीकरण हेतु विशेष अपील संख्या 323 वर्ष 2014 के आदेश के अध्याधीन निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड पुलिस के कुशल खिलाड़ियों की बिना पारी पदोन्नति प्रक्रिया नियमावली–2016

भाग–एक सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम 'उत्तराखण्ड पुलिस के कुशल खिलाड़ियों की बिना पारी पदोन्नति प्रकिया नियमावली, 2016' है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

अध्यारोही प्रभाव 2 राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये या जारी किये गये किसी नियमावली आदेशों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी यह नियमावली प्रभावी होगी।

परिभाषाएं 3 जब तक विषय अथवा सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस नियमावली में :–

(क) 'कुशल खिलाड़ी' उत्तराखण्ड पुलिस विभाग के ऐसे पुरूष/महिला खिलाड़ियों से अभिप्रेत है जिसने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक संघ द्वारा आयोजित/मान्यता प्राप्त खेलों में और राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा आयोजित/मान्यताप्राप्त खेलों में भाग लिया हो;

(ख) 'खेल' से ऐसा खेल अभिप्रेत है, जिसे ओलम्पिक/एशियन/कॉमनवेल्थ/ऑल इण्डिया पुलिस खेल संघ द्वारा मान्यता प्राप्त हो;

(ग) 'टीम' से खिलाडी के ऐसा समूह अभिप्रेत है, जिनकी संख्या राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति/एशोसियेशन द्वारा राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय खेलों के लिए नियत की जाती है;

(घ) 'अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता' से ऐसी कोई प्रतियोगिता अभिप्रेत है, जो ऐसे संघ द्वारा आयोजित की गई हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति/संघ द्वारा सीनियर/जूनियर अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए आयोजित किया जाता है;

(ङ) 'राष्ट्रीय प्रतियोगिता' से भारतीय ओलम्पिक संघ या इससे मान्यताप्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित सीनियर/जूनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता/राष्ट्रीय खेल अभिप्रेत हैं;

(च) 'अखिल भारतीय पुलिस खेल प्रतियोगिता' से ऐसी खेल सम्बन्धी घटनाएं/प्रतियोगिताएं अभिप्रेत हैं, जो अखिल भारतीय पुलिस खेल नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली द्वारा आयोजित किये जाते हैं;

(छ) 'उत्तराखण्ड पुलिस खेल नियंत्रण बोर्ड' से ऐसी ईकाई अभिप्रेत है, जो उत्तराखण्ड़ पुलिस के लिए विभिन्न खेल गतिविधियों को नियंत्रित और आयोजित करती है;

(ज) 'भारत का नागरिक' से संविधान के भाग–2 के अधीन किसी व्यक्ति के भारत के नागरिक होने अथवा समझा जाना अभिप्रेत हैं;

(झ) 'संविधान' से भारत का संविधान अभिप्रेत हैं;

(ञ) 'सरकार' से उत्तराखण्ड राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(ट) 'राज्यपाल' से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत हैं;

(ठ) 'विभागाध्यक्ष' से पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड अभिप्रेत हैं;

(ड) 'नियुक्ति प्राधिकारी' से:–

(एक) पुलिस उपाधीक्षक अथवा समकक्ष पद के सम्बन्ध में राज्यपाल अभिप्रेत हैं;

(दो) निरीक्षक अथवा समकक्ष पद एवं उपनिरीक्षक अथवा समकक्ष पद के सम्बन्ध में पुलिस उपमहानिरीक्षक; और

(तीन) मुख्य आरक्षी अथवा समकक्ष पद के सम्बन्ध में यथास्थिति वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक /पुलिस अधीक्षक अथवा समकक्ष पद अभिप्रेत है;

(ढ़) 'चयन समिति' से कुशल खिलाडियों की बिना पारी पदोन्नति हेतु विशेष रूप से पुलिस महानिदेशक द्वारा गठित चयन समिति अभिप्रेत हैं। पुलिस उपाधीक्षक के संदर्भ में उक्त 'समिति' अर्हता धारक कुशल खिलाडी के लिये पदोन्नति हेतु शासन को संस्तुति प्रेषित करने वाली समिति होगी;

(ण) 'सेवा' से इस नियमावली के अधीन पदोन्नति के माध्यम से संवर्ग में किसी पद पर नियुक्त किसी व्यक्ति की सेवा अभिप्रेत है;

(त) 'खेल उपलब्धि' से किसी खिलाडी द्वारा सृजित प्रतिमानों अथवा उसके द्वारा अर्जित पदक अभिप्रेत है;

(थ) 'मौलिक नियुक्ति' से ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो कि तदर्थ नियुक्ति न हो और नियुक्ति संगत सेवा नियमावली के अनुसार चयन के परिणामस्वरूप की गयी हो, परन्तु जहां सेवा नियमावली न हो, वहां कार्यकारी आदेश के अंतर्गत की गयी हो।

(द) 'भर्ती का वर्ष' से किसी कैलेण्डर वर्ष की प्रथम जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह माह की अवधि अभिप्रेत है।

भाग–दो संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4 नियुक्ति के लिये वह पद, जिसके लिये कुशल खिलाड़ी की पदोन्नति की गई है, सेवा के संवर्ग में उसे उस पद के लिये नियुक्त किया गया समझा जायेगा।

भाग–तीन कुशल खिलाड़ियों की बिना पारी पदोन्नति

पदोन्नति के लिये पात्रता

5(1) इस नियमावली के नियम 7 में विहित अहर्ताओं के अनुसार ऐसे कुशल खिलाड़ियों को, जो नियम 3 के उपनियम–'क' से 'च' के अनुसार उनके खेलों में उत्कृष्ट निष्पादन के आधार पर बिना पारी की पदोन्नति के आधार पर प्रत्येक सम्बन्धित संवर्ग/पद से सीधे सम्बन्धित सेवा नियमावली में विहित मुख्य आरक्षी अथवा समकक्ष पद, उपनिरीक्षक अथवा समकक्ष पद, निरीक्षक अथवा समकक्ष पद, तथा पुलिस उपाधीक्षक एवं समकक्ष पदों पर प्रोन्नत किये जा सकेंगे।

(2) इस नियमावली के अनुसार किसी पद पर बिना पारी पदोन्नति हेतु संगत सेवा नियमावली में पद हेतु विहित शैक्षिक अर्हता धारित करना अनिवार्य नहीं होगा।

(3) इस नियमावली के अधीन, अपेक्षित मानक पूरा करने पर बिना पारी की पदोन्नति एक अधिकार विषयक मामला नहीं होगा। यह पदोन्नति विभाग की आवश्यकताओं और प्रत्येक अलग कुशल खिलाड़ी की व्यक्तिगत/टीम स्पर्द्धा के प्रदर्शन/उपलब्धि पर आधारित होगा।

(4) किसी कुशल खिलाड़ी को दी गयी इस प्रकार बिना पारी की पदोन्नति उदाहरण के रूप में उधृत नहीं की जा सकेगी, और यह किसी अन्य खिलाड़ी को बिना पारी की पदोन्नति का कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करेगा।

(5) उत्कृष्ट खेल निष्पादन के आधार पर बिना पारी की पदोन्नति प्रदान करते समय दण्ड, सत्यनिष्ठा, विभागीय/विधिक कार्यवाहियों के मामले संज्ञान में लिये जायेंगे और उनके मानकों को इस प्रकार अनुसंज्ञान में लिया जायेगा, जो विभाग में साधारणतया ऐसे रैंक में पदोन्नति के दौरान देखे जाते हैं।

पदोन्नति के लिए रिक्तियों का निर्धारण

6 इस नियमावली के अनुसार बिना पारी की पदोन्नति के लिए निर्धारित प्रक्रिया हेतु ऐसे व्यक्तियों जो इस अवसर का उपयोग करते हैं, की पदोन्नति अधिसंख्य पद सृजित करते हुए उक्त के सापेक्ष की जायेगी, जो पदधारक के उच्च सोपान के पद पर पदोन्नति के साथ ही समाप्त हो जायेगा।

कुशल खिलाड़ियों की पदोन्नति के लिए आहर्ताएं

7(1) मुख्य आरक्षी अथवा समकक्ष पद पर बिना पारी की पदोन्नति के लिए निम्नलिखित मे से कोई एक मानदण्ड अपनाया जायेगा :–

(क) उत्तराखण्ड प्रदेश के राज्य टीम या भारतीय पुलिस टीम में चयनित होकर राष्ट्रीय प्रतियोगिता सिनियर/जूनियर व्यक्तिगत अथवा टीम खेलों में स्वर्ण/रजत अथवा कांस्य पदक प्राप्त किया हो अथवा भारतीय टीम सिनियर/जूनियर में चयनित होकर भारतीय खेल संघ द्वारा चयनित टीम के सदस्य के रूप में किसी भी भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया हो।

(ख) अखिल भारतीय पुलिस खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेकर व्यक्तिगत खेलों में 01 स्वर्ण, अथवा 02 रजत, अथवा 01 रजत और 02 कांस्य, अथवा 03 कांस्य पदक प्राप्त किया हो; परन्तु उक्त पदक एक ही वर्ष में या क्रमिक रूप से 03 वर्षों में अर्जित किये गये हो सकते हैं।

(ग) अखिल भारतीय पुलिस खेल कूद प्रतियोगिताओं में भाग लेकर टीम खेलों में 01 स्वर्ण, अथवा 02 रजत, अथवा 01 रजत और 02 कांस्य, अथवा 03 कांस्य पदक प्राप्त किया हो; परन्तु उक्त पदक एक ही वर्ष में या क्रमिक रूप से 03 वर्षों में अर्जित किये गये हो सकते हैं।

(2) उपनिरीक्षक अथवा समकक्ष पद के लिए निम्नलिखित में से किसी एक मापदण्ड को अपनाया जायेगाः–

(क) भारतीय टीम में चयनित होकर भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में (टीम/व्यक्तिगत खेलों में) भाग लेकर स्वर्ण या रजत या कांस्य पदक प्राप्त किया हो।

(ख) उत्तराखण्ड राज्य टीम या पुलिस टीम में चयनित होकर राष्ट्रीय प्रतियोगिता/राष्ट्रीय खेलों में (टीम/व्यक्तिगत स्पर्द्धा में) 02 पदक जिनमें 01 स्वर्ण/रजत पदक हो, अथवा 03 कांस्य पदक अर्जित किया हो; परन्तु उक्त पदक एक ही वर्ष में या क्रमिक रूप से 03 वर्षों में अर्जित किये गये हो सकते हैं।

(ग) भारतीय टीम में चयनित होकर ओलम्पिक खेलों में टीम/व्यक्तिगत स्पर्धा में सम्मिलित हुआ हो।

(3) निरीक्षक अथवा समकक्ष पद के लिए निम्नलिखित में से किसी एक मापदण्ड को अपनाया जायेगाः–

(क) वह खेलों में देश का उच्चतम उत्कृष्ट पुरस्कार (अर्जुन पुरस्कार) अर्जित किया हो/की हो।

(ख) भारतीय टीम में चयनित होकर राष्ट्रमण्डलीय, एशियाई चैम्पियनशिप में भाग लेकर (टीम/व्यक्तिगत स्पर्द्धा में) स्वर्ण, अथवा रजत पदक, अथवा कांस्य पदक, अथवा सैफ खेलों में 02 स्वर्ण पदक अर्जित किये हों; परन्तु उक्त पदक एक ही वर्ष में या क्रमिक रूप से 03 वर्षों में अर्जित किये गये हो सकते है।

(ग) भारतीय टीम में चयनित होकर ओलम्पिक खेलों में भाग लेकर टीम/व्यक्तिगत स्पर्द्धा में आठवां तक स्थान प्राप्त किया हो।

(4) पुलिस उपाधीक्षक अथवा समकक्ष पद पर पदोन्नति हेतु मानदण्डः–

निम्नलिखित में से कोई भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुलिस उपाधीक्षक के पद पर पदोन्नति प्रदान की जायेगीः–

(क) वह देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार–राजीव गॉधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया हो।

(ख) भारतीय टीम में चयनित होकर टीम/व्यक्तिगत स्पर्द्धा में विश्व चैम्पियनशिप/ओलम्पिक खेलों में भाग लेकर स्वर्ण अथवा रजत अथवा कांस्य पदक प्राप्त किया हो।

8 कुशल खिलाड़ियों के लिए बिना पारी की पदोन्नति के समस्त मामलों का परीक्षण इस निमित पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड द्वारा गठित चयन समिति द्वारा किया जायेगा। बिना पारी की पदोन्नतियां प्रदान करने के लिए ऐसी चयन समिति की बैठक का आयोजन वर्ष में दो बार फरवरी और अगस्त माह में किया जायेगा, जो फरवरी और अगस्त माह की समाप्ति तक उनकी संस्तुतियां पुलिस महानिदेशक उत्तराखण्ड को प्रस्तुत करेगी। बिना पारी पदोन्नति हेतु समिति द्वारा कुशल खिलाडी के रूप में कार्मिक की विगत 03 वर्षों की उपलब्धियों को ही संज्ञान में लिया जायेगा।

9 बिना पारी पदोन्नति हेतु चयन समितियों का गठन निम्नवत किया जायेगा :–

(क) <u>पुलिस उपाधीक्षक अथवा समकक्ष पद हेतु</u> (संस्तुतियाँ शासन को प्रेषित करने हेतु समिति):–

(1) पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड –	अध्यक्ष।
(2) सचिव, उत्तराखण्ड पुलिस स्पोर्ट्स कन्ट्रोल बोर्ड–	सदस्य सचिव।
(3) पुलिस महानिदेशक द्वारा नामित अनु0जाति/जनजाति का एक अधिकारी, जो अपर पुलिस अधीक्षक से अन्यून स्तर का हो–	सदस्य।
(4) पुलिस महानिदेशक द्वारा नामित पिछड़े वर्ग का एक अधिकारी, जो अपर पुलिस अधीक्षक से अन्यून स्तर का हो	सदस्य।
(5) पुलिस महानिदेशक द्वारा नामित अल्पसंख्यक वर्ग का एक अधिकारी, जो अपर पुलिस अधीक्षक से अन्यून स्तर का हो	सदस्य।

<u>(ख) निरीक्षक अथवा समकक्ष पद/उप निरीक्षक अथवा समकक्ष पद पर पदोन्नति हेतु :–</u>

(1) सचिव, उत्तराखण्ड पुलिस स्पोर्ट्स कन्ट्रोल बोर्ड (अपर पुलिस महानिदेशक रैंक के होने पर)/अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन	अध्यक्ष।
(2) पुलिस उप महानिरीक्षक कार्मिक	सदस्य।
(3) पुलिस महानिदेशक द्वारा नामित अनु0जाति/जनजाति का एक अधिकारी, जो अपर पुलिस अधीक्षक से अन्यून स्तर का हो	सदस्य।
(4) पुलिस महानिदेशक द्वारा नामित पिछड़े वर्ग का एक अधिकारी, जो अपर पुलिस अधीक्षक से अन्यून स्तर का हो	सदस्य।
(5) पुलिस महानिदेशक द्वारा नामित अल्पसंख्यक वर्ग का एक अधिकारी, जो अपर पुलिस अधीक्षक से अन्यून स्तर का हो	सदस्य।
(6) पुलिस स्पोर्ट्स अधिकारी–	सचिव/सदस्य।

(ग) मुख्य आरक्षी अथवा समकक्ष पद पर पदोन्नति हेतु :–

(1) सचिव, उत्तराखण्ड पुलिस स्पोर्ट्स कन्ट्रोल बोर्ड –	अध्यक्ष।
(2) पुलिस अधीक्षक कार्मिक–	सदस्य।
(3) पुलिस महानिदेशक द्वारा नामित अनु0जाति/जनजाति का एक अधिकारी, जो अपर पुलिस अधीक्षक से अन्यून स्तर का हो	सदस्य।
(4) पुलिस महानिदेशक द्वारा नामित पिछड़े वर्ग का एक अधिकारी, जो अपर पुलिस अधीक्षक से अन्यून स्तर का हो	सदस्य।
(5) पुलिस महानिदेशक द्वारा नामित अल्प संख्यक वर्ग का एक अधिकारी, जो अपर पुलिस अधीक्षक से अन्यून स्तर का हो	सदस्य।
(6) पुलिस स्पोर्ट्स अधिकारी–	सचिव/सदस्य।

पदोन्नति की प्रक्रिया

10(1) किसी आसीन कुशल खिलाड़ी जो नियम 7 के अधीन माप–दण्ड को पूरा करता हो और जो नियम 8 के अधीन चयन समिति द्वारा पदोन्नति के लिए संस्तुत किया गया हो, के लिए सचिव, उत्तराखण्ड पुलिस स्पोर्ट्स कन्ट्रोल बोर्ड, कुशल खिलाडियों की संपूर्ण खेल क्रिया–कलापों/उपलब्धियों सहित विद्यमान रैंक से नियम–7 में वर्णित यथाउपलब्धि धारित करने पर उस उच्चतर रैंक में सीधे बिना पारी के पदोन्नति का प्रस्ताव बोर्ड को अग्रसारित करेगा। बोर्ड प्रस्ताव यथाप्रकिया सम्बन्धित पद के नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेगा।

(2) बोर्ड के प्रस्ताव के आधार पर विभागाध्यक्ष का स्पष्ट अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अराजपत्रित कर्मचारियों की पदोन्नति/नियुक्ति, सक्षम नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियम–6 के अधीन उपलब्ध अधिसंख्य पद के सापेक्ष की जायेगी।

(3) पुलिस उपाधीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु चयन समिति की संस्तुति के आधार पर बोर्ड द्वारा पुलिस महानिदेशक के अनुमोदनोपरान्त शासन को अधियाचन प्रस्ताव प्रेषित किया जायेगा जिसके कम में शासन द्वारा यथा प्रकिया उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम से पदोन्नति की कार्यवाही की जायेगी।

(4) इस नियमावली के अधीन की गई समस्त पदोन्नतियां पदभार ग्रहण करने के दिनांक से लागू होगी।

द्वितीय पदोन्नति अन्तराल

11 एक बार बिना पारी की पदोन्नति होने के बाद कुशल खिलाड़ी को अगली बिना पारी की पदोन्नति उसकी प्रथम पदोन्नति के बाद की खेल उपलब्धियों के आधार पर की जा सकेगी किन्तु इनके मध्य न्यूनतम 02 वर्ष का अन्तराल रहेगा।

पदावनत किया जाना

12(1) कुशल खिलाड़ी के रूप में कार्मिक की उपर्युक्त विहित नियमों के आधार पर की गयी पदोन्नति के पश्चात्वर्ती कमिक 02 वर्षों तक यदि उक्त पदोन्नत कार्मिक का कुशल खिलाडी के रूप में प्रदर्शन प्रतियोगिता विशेष, जिसमें उपलब्धि के आधार पर वह पदोन्नत हुआ है, के क्वालीफाइंग स्तर तक की योग्यता नहीं बनाये रखता है तो उसे नियम आठ के अधीन गठित चयन समिति द्वारा सम्यक् रूप से विचार/परीक्षणोपरान्त पदावनत करने की संस्तुति सम्बन्धित नियोक्ता प्राधिकारी से की जायेगी और नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा 'समिति' की उक्त संस्तुति के अनुसार सम्बन्धित कर्मिक को पदावनत करने के सम्बन्ध में सकारण आदेश निर्गत किया जायेगा।

(2) उप नियम (1) के अधीन, पदोन्नति के उपरान्त कुशल खिलाडी के रूप में पदोन्नत कार्मिक को खेल विशेष में प्रतियोगिता (जिसमें प्रदर्शन के आधार पर वह पदोन्नत हुआ था), के क्वालीफाइंग स्तर के प्रदर्शन क्रमिक दो वर्षों तक सचिव–उत्तराखण्ड पुलिस स्पोर्ट्स कन्ट्रोल बोर्ड द्वारा निर्धारित समिति के समक्ष करना होगा जिसकी रिपोर्ट पुलिस स्पोर्ट्स अधिकारी उपनियम (1) में वर्णित चयन समिति के अध्यक्ष को प्रेषित करेगा। प्रदर्शन का समय पुलिस स्पोर्ट अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जायेगा एवं तदनुसार सम्बन्धित अधिकारी/कार्मिक को संसूचित भी किया जायेगा।

(3) उप नियम (1) के अधीन, यदि कुशल खिलाडी के रूप में पदोन्नत कार्मिक द्वारा अग्रेत्तर क्रमिक दो वर्षों तक अपेक्षित स्तर का प्रदर्शन पुलिस स्पोर्ट्स अधिकारी के समक्ष नहीं कर पाता है:–

(क) यदि वह बीमार/दुर्घटना ग्रस्त हो गया हो, वह शारीरिक रूप से दुर्बल हो गया हो, जिससे उसका खेल प्रदर्शन प्रभावित होना अवश्यम्भावी हो (इस सम्बन्ध में वह पुलिस स्पोर्ट्स अधिकारी को राज्य मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा)

(ख) यदि उसे विभागीय कार्यों/उत्तर दायित्वों का निर्वहन करने के कारण खेल का स्तर बनाये रखने हेतु अपेक्षित समय न मिल पाया हो (जिसके लिए सम्बन्धित आसन्न वरिष्ठ अधिकारी का इस सम्बन्ध में दिया गया प्रमाण–पत्र उक्त कार्मिक द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा) तथा उक्त खिलाडी/खिलाडियों द्वारा समय–समय पर अपने नियंत्रक अधिकारी को लिखित रूप में उचित माध्यम से अभ्यास हेतु यथोचित समय प्रदान करने के लिए सूचित एवं निवेदन भी किया गया हों (जिसका पृष्ठांकन पुलिस स्पोर्ट्स अधिकारी को भी अनिवार्य रूप से किया जाये);

ऐसे कार्मिक को पदावनत नहीं किया जायेगा।

(4) आसन्न अधिकारी द्वारा 'कुशल खिलाडी' के रूप में पदोन्नत कार्मिक को खेल विशेष जिसमें प्रदर्शन कर वह पदोन्नत हुआ है अग्रेत्तर प्रदर्शन का अपेक्षित स्तर बनाये रखने के लिए समिति के समक्ष प्रदर्शन करने से पूर्व तीन माह का समय दिया जायेगा एवं उक्त हेतु चिन्हित/सूचित तैयारी स्थल पर तैनाती/सम्बद्धता करने की भी समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

भाग – चार – बिना पारी की पदोन्नति, खिलाड़ियों का प्रशिक्षण और उनकी ज्येष्ठता

प्रशिक्षण 13(1) कुशल खिलाड़ियों को बिना पारी की पदोन्नति प्रदान किये जाने पर उन्हें उस रैंक, जिस पर उनकी पदोन्नति की गयी हो, के लिए विहित अनिवार्य मौलिक प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण करना होगा।

(2) इस प्रशिक्षण के दौरान ऐसे कुशल खिलाड़ियों को अखिल भारतीय पुलिस खेल/राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने की छूट प्राप्त होगी। ऐसे मामले में जिसे अलग से अपेक्षित प्रारम्भिक प्रशिक्षण पूर्ण करना होगा।

(3) सामान्यतः अगले उच्चतर रैंक पर पदोन्नति के लिए कोई खिलाड़ी केवल तभी पात्र होगा, जब वह उस रैंक के लिए विहित निर्धारित मौलिक प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो और वह ऐसी पदोन्नति के लिए समस्त अर्हताओं को भी पूर्ण करता हो।

परिवीक्षा

14 इस नियमावली के अधीन पदोन्नत सभी कुशल खिलाड़ी सम्बन्धित सेवा नियमावली के उपबन्धों के अनुसार परिवीक्षा पर रखे जायेंगे।

स्थायीकरण

15 कोई परिवीक्षाधीन व्यक्ति अपनी नियुक्ति पर परिवीक्षा अवधि अथवा बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर स्थाई कर दिया जायेगा, यदि–

(क) उसने सफलतापूर्वक विहित प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया है,

(ख) उसका कार्य और आचरण अति उत्तम पाया गया है, और

(ग) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी गयी हो।

ज्येष्ठता

16 बिना पारी की पदोन्नति के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों को उस संवर्ग में मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों के नीचे रखा जायेगा।

भाग–पाँच–वेतन आदि

वेतन

17. विभाग में मौलिक पद/सेवा के प्रचलित वेतन संरचना के अनुसार कुशल खिलाड़ियों को वही वेतन और भत्ते अनुमन्य होंगे जिसके सापेक्ष उसकी पदोन्नति के फलस्वरूप तैनाती की गयी है।

भाग–छः – अन्य उपबन्ध

अन्य प्रकीर्ण उपबन्ध

18(1) ऐसी विषयवस्तु, जो इस नियमावली या अन्य सुसंगत आदेशों द्वारा सुस्पष्ट रूप से आच्छादित न हो, ऐसी नियमावली, उपबन्ध और आदेशों द्वारा नियंत्रित होगी जो सामान्यतः राज्य के अन्य सेवारत कर्मचारियों के लिए उनके संचालन हेतु लागू हो।

(2) इस नियमावली में किये गये उपबन्धों के विपरीत सरकारी आदेश के समस्त विद्यमान उपबन्ध इस नियमावली के प्रारम्भ होने के दिनांक से अस्तित्वहीन हो जायेंगे।

(3) समय–समय पर निर्गत सरकारी आदेशों के अनुपालन में ऐसे व्यक्तियों, जो अपनी खेल उपलब्धियों के आधार पर पदोन्नति प्राप्त किये हों, को पदोन्नति के दिनांक से उनके संवर्ग में पदोन्नत किया हुआ समझा जायेगा।

(4) इस नियमावली में किसी बात का प्रभाव अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समय–समय पर इस सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों के अनुसार अन्य विशेष श्रेणी के व्यक्तियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबन्धित किये जाने वाले अपेक्षित आरक्षण और छूट पर नहीं पडेगी।

सेवा शर्तों में शिथिलता

19 जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों से सम्बन्धित किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई उत्पन्न होती है तो वह उक्त मामलों में लागू नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी आदेश द्वारा, उस नियम की अपेक्षाओं में अभिमुक्ति या शिथिलता इस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अध्यधीन प्रदान कर सकती है जैसा कि वह न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रिति से मामले को व्यवहृत करने के लिए आवश्यक समझे, परन्तु जहां कोई नियम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के परामर्श से बनाया गया हो वहां उक्त निकाय से नियम की अपेक्षाओं में अभिमुक्ति या शिथिलता प्रदान करने के पूर्व परामर्श लिया जायेगा।

विस्तार/ प्रयोज्यता

20 इस नियमावली के अधीन कृत्य किसी पदोन्नति को सुसंगत सेवा नियमावलियों के अधीन किया गया समझा जायेगा।

आज्ञा से,

डॉ0 उमाकान्त पंवार,
प्रमुख सचिव।

आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग

अधिसूचना

26 अगस्त, 2016 ई0

संख्या 1310/XXXX/2016–61/2012–अधिसूचना संख्या 775/XXXX/2012–61/2012 दिनांक 06 अगस्त, 2012 के क्रम में श्री राज्यपाल महोदय, संयुक्त प्रान्त भारतीय चिकित्सा अधिनियम, 1939 (अधिनियम संख्या 10, वर्ष 1939) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा–10 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके बोर्ड का अधिक्रमण करते हुये नियुक्त किये गये नियंत्रक श्री अतर सिंह, संयुक्त सचिव (तत्कालीन उप सचिव, वित्त, कृषि एवं कृषि शिक्षा विभाग) उत्तराखण्ड शासन का कार्यकाल 01 वर्ष (कार्यकाल समाप्ति की तिथि 05–08–2016 से) अथवा बोर्ड का गठन होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख,

सचिव।

वित्त अनुभाग–8

कार्यालय–ज्ञाप/संशोधन

01 सितम्बर, 2016 ई0

संख्या 699/2016/XXVII(8)/06(100)/2006–कार्यालय ज्ञाप संख्या 174/2016/XXVII(8)/45(100)/2005, 23 फरवरी, 2016 के प्रस्तर–1 को निम्नवत् पढ़ा जायेगाः–

"तत्काल प्रभाव से श्री पीयूष कुमार, अपर आयुक्त, वाणिज्य कर मुख्यालय, देहरादून (वेतनमान ₹ 37400–67000, ग्रेड वेतन ₹ 8900) को वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत वेतनमान ₹ 37400–67000, ग्रेड वेतन ₹ 10,000 पर पदोन्नत करते हुये विभागीय संरचनात्मक ढांचे में स्वीकृत अपर आयुक्त (विशेष वेतनमान), वाणिज्य कर मुख्यालय के रिक्त पद पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।"

2. उक्त सदर्भित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 23 फरवरी, 2016 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

कार्यालय–ज्ञाप

01 सितम्बर, 2016 ई0

संख्या 736/2016/XXVII(8)/06(100)/2006–तत्काल प्रभाव से श्री भारत भूषण मठपाल, अपर आयुक्त, वाणिज्य कर, देहरादून जोन (वेतनमान ₹ 37400–67000, ग्रेड वेतन ₹ 8900) को वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत वेतनमान ₹ 37400–67000, ग्रेड वेतन ₹ 10,000 पर पदोन्नत करते हुये विभागीय संरचनात्मक ढांचे में स्वीकृत अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन के रिक्त पद पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

2. उक्त पदोन्नत अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल अपने पदोन्नति के पद पर योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

कार्यालय–ज्ञाप

01 सितम्बर, 2016 ई0

संख्या 737/2016/XXVII(8)/06(100)/2006–तत्काल प्रभाव से श्री ईश्वर सिंह बृजवाल, अपर आयुक्त, वाणिज्य कर, रूद्रपुर जोन (वेतनमान ₹ 37400–67000, ग्रेड वेतन ₹ 8900) को वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत वेतनमान ₹ 37400–87000, ग्रेड वेतन ₹ 10,000 पर पदोन्नत करते हुये विभागीय संरचनात्मक ढांचे में स्वीकृत सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण , हल्द्वानी पीठ के रिक्त पद पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

2. उक्त पदोन्नत अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल अपने पदोन्नति के पद पर योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

अमित सिंह नेगी,
सचिव, वित्त।

सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–1

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

01 सितम्बर, 2016 ई0

संख्या 1628/XXXI(1)/2016/पदो0–30/2015–उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा संवर्ग के अन्तर्गत कार्यरत श्री अनिल कुमार पुरोहित, समीक्षा अधिकारी को नियमित चयनोपरान्त अनुभाग अधिकारी, वेतनमान ₹ 15600–39100, ग्रेड वेतन ₹ 5400 के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री पुरोहित को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3. उक्त प्रोन्नति रिट याचिका संख्या 1997/2013 (एस/एस) धर्मेंद्र कुमार द्विवेदी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 146 एस0बी0/2014 दिनेश कुमार व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्याः 22122/2013 सुनील कुमार मिश्रा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्याः 270 (एस0बी)/2015 शैलेष कुमार पन्त बनाम राज्य व अन्य, 271 (एस0बी0)/2015 संजीव कुमार शर्मा बनाम राज्य व अन्य, 272 (एस0बी0) 2015 रावेन्द्र कुमार चौहान बनाम राज्य व अन्य, 273 (एस0बी0)/2015 धर्मेन्द्र सिंह पयाल बनाम राज्य व अन्य एवं रिट याचिका संख्याः 274 (एस0बी0)/2015 ललित मोहन आर्य बनाम राज्य व अन्य के अतिरिक्त मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, उ0प्र0 में योजित स्पेशल अपील संख्याः 31/2015 में पारित निर्णय दिनांक 08–05–2015 के विरूद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 23254/2015 हरिशंकर तिवारी व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य एवं उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 08–09–2015 के परिपेक्ष्य में मा0 उच्च न्यायालय की खण्डपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्याः 5828 (एस/एस)/2015 डा0 किशोर टण्डन व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा विभिन्न मा0 न्यायालयों में योजित अन्य रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अंतिम निर्णयों के अधीन की जा रही है।

4. उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री अनिल कुमार पुरोहित, अनुभाग अधिकारी को पशुपालन एवं दुग्ध विकास अनुभाग–2 में तैनात किया जाता है।

5. श्री पुरोहित, अनुभाग अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी नवीन तैनाती के अनुभाग में कार्यभार ग्रहण करते हुए सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–1 को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,
आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्,
सचिव।

गृह अनुभाग–3

अधिसूचना

02 सितम्बर, 2016 ई0

संख्या 1650/XX–3–2016–13(12)2016–श्री राज्यपाल महोदय, दिल्ली विशेष पुलिस अवस्थापना अधिनियम, 1946 (अधिनियम संख्या 25, वर्ष 1946) की धारा–6 के अनुसरण में जनपद ऊधमसिंह नगर के थाना काशीपुर पर पंजीकृत एफ0आई0आर0 सं0 356/2015 अन्तर्गत धारा–364, 302 भा0द0वि0 के अन्वेषण तथा उपरोक्त अपराध से जुड़े हुये या सम्बन्धित प्रयासों, दुष्प्रेरणों और षड़यंत्रों तथा उसी संव्यवहार के अनुक्रम में किये गये अथवा वर्णित वाद के उन्हीं तथ्यों से उद्भूत किसी अन्य अपराध अथवा अपराधों के अन्वेषणों के लिए सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में दिल्ली विशेष पुलिस अवस्थापना के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता के विस्तार की सहमति प्रदान करते हैं।

उत्तराखण्ड के राज्यपाल के आदेश अथवा उनकी ओर से,

विनोद शर्मा,

सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of "the Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 1650/XX(3)-2016-13(12)2016**, Dehradun dated September 02, 2016 for general information :

NOTIFICATION

No. 1650/XX(3)-2016-13(12)2016--In pursuance of the provisions of Section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act No. 25 of 1946), the Governor of the State of Uttarakhand is pleased to accord consent to the extention of power and jurisdiction of the member of the Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Uttarakhand for the investigation of case Crime No. 356/2015 u/s 364, 302 IPC registerd at Police Station Kashipur, District Udhamsingh Nagar, Uttarakhand the above mentioned offence and any other offence of offences commited in the course of the same transaction or/and arising out of the same facts of the said case.

By Order and the Name of the Governor of Uttarakhand,

VINOD SHARMA,

Secretary, Home.

अधिसूचना

02 सितम्बर, 2016 ई0

संख्या 1652/XX–3–2016–05(17)2013–श्री राज्यपाल महोदय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 3 सपठित साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल की संस्तुति पर उक्त अधिनियम से सम्बन्धित प्रकरणों में कुमाऊँ परिक्षेत्र, नैनीताल के अन्तर्गत सतर्कता, अपराध अनुसंधान विभाग एवं पुलिस अवस्थापना द्वारा पंजीकृत चालानों के विचारण हेतु श्री शंकर राज, प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नैनीताल को उनके पद के अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश के रूप में पदाभिहित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासन की अधिसूचना संख्या 2025/XX–3–2014–05(17)2013, दिनांक 30–09–2015 एतद्द्वारा विखण्डित समझी जायेगी।

आज्ञा से,

विनोद शर्मा,

सचिव।

सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–4

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

02 सितम्बर, 2016 ई0

संख्या 1048/XXXI(4)16–06(विविध)2015–उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के निजी सचिव संवर्ग के अन्तर्गत श्री हरि प्रसाद बेलवाल, वरिष्ठ निजी सचिव को नियमित चयनोपरान्त प्रमुख निजी सचिव वेतनमान ₹ 15600–39100 ग्रेड वेतन ₹ 7600/– के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से प्रोन्नत करते हुए उक्त पद पर 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा में रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. श्री हरि प्रसाद बेलवाल अपने वर्तमान तैनाती के स्थान पर तैनात रहेंगे तथा अपने वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही कार्यभार ग्रहण करते हुए सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन को कार्यभार ग्रहण करने की सूचना उपलब्ध करायेंगे।

3. भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि उ0प्र0 सचिवालय के अन्य कर्मी उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होते हैं तो तद्परिणाम से वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में इन आदेशों को तत्क्रम से निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथा आवश्यक परिवर्तित/प्रत्यावर्तित किया जायेगा।

आज्ञा से,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्,

प्रभारी सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 38 हिन्दी गजट/452–भाग 1–2016 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 17 सितम्बर, 2016 ई0 (भाद्रपद 26, 1938 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

17th August, 2016

No. 235/UHC/XIV/93/Admin.A/2003--Sri Sanjeev Kumar, Additional Judge, Family Court, Roorkee, District Hardwar is hereby sanctioned medical leave for 06 days *w.e.f.* 12.07.2016 to 17.07.2016.

NOTIFICATION

17th August, 2016

No. 236/UHC/XIV/40/Admin.A--Smt. Meena Tiwari, District & Sessions Judge, Tehri, Garhwal is hereby sanctioned earned leave for 12 days *w.e.f.* 26.07.2016 to 06.08.2016 with permission to prefix 24.07.2016 as Sunday holiday, 25.07.2016 as local holiday and suffix 07.08.2016 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

August 17, 2016

No. 237/UHC/XIV/69/Admin.A/2003--Smt. Rama Pandey, Judge, Family Court, Hardwar is hereby sanctioned medical leave for 05 days *w.e.f.* 15.07.2016 to 19.07.2016.

NOTIFICATION

17th August, 2016

No. 238/UHC/XIV-a/39/Admin.A/2012--Ms. Sweta Pandey, 1st Additional Civil Judge (Jr. Div.), Rudrapur, District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 21 days *w.e.f.* 11.07.2016 to 31.07.2016 with permission to prefix 09.07.2016 & 10.07.2016 as second Saturday & Sunday holiday respectively.

NOTIFICATION

August 19, 2016

No. 239/UHC/XIV/76/Admin.A/2003--Sri Varun Kumar, the then Additional District Judge, Almora, presently posted as 4th Additional District Judge, Hardwar is hereby sanctioned earned leave for 11 days *w.e.f.* 26.07.2016 to 05.08.2016.

NOTIFICATION

August 22, 2016

No. 59/XIV-a/57/Admin.A/2012--Ms. Arti Saroha, Addl. Civil Judge (Jr. Div.), Khatima, District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned medical leave for 09 days *w.e.f.* 01.08.2016 to 09.08.2016.

NOTIFICATION

August 23, 2016

No. 240/UHC/XIV/17/Admin.A/2008--Sri Shivakant Dwivedi, Chief Judicial Magistrate, Chamoli is hereby sanctioned earned leave for 19 days *w.e.f.* 25.07.2016 to 12.08.2016 with permission to prefix 24.07.2016 as Sunday holiday and suffix 13.08.2016, 14.08.2016 & 15.08.2016 as public holidays.

NOTIFICATION

August 23, 2016

No. 241/XIV-a/53/Admin.A/2012--Sri Neeraj Kumar, 2nd Additional Civil Judge (Jr. Div.), Dehradun is hereby sanctioned medical leave for 13 days *w.e.f.* 30.07.2016 to 11.08.2016.

NOTIFICATION

24th August, 2016

No. 242/UHC/XIV-a/47/Admin.A/2012--Ms. Simranjit Kaur, Judicial Magistrate-I, Dehradun is hereby sanctioned maternity leave for 180 days *w.e.f.* 22.02.2016 to 19.08.2016 with permission to prefix 21.02.2016 as Sunday holiday, in terms of F.R. 101 and S.R. 153 & 154 of F.H.B., Volume II (Parts 2-4) and Office Memo No. 250/XXVII(7)/2009 dated 24/08/2009 *issued* by Government of Uttarakhand.

NOTIFICATION

29th August, 2016

No. 243/UHC/XIV/19/Admin.A/2008--Smt. Geeta Chauhan, Civil Judge (Sr. Div.), Ramnagar, District Nainital is hereby sanctioned earned leave for 16 days *w.e.f.* 09.08.2016 to 24.08.2016 with permission to suffix 25.08.2016 as Public holiday.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,
Sd/-
Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

1st September, 2016

No. 244/UHC/XIV-a/29/Admin.A/2012--Ms. Vibha Yadav, Assistant Director, Uttarakhand Judicial & Legal Academy, Bhowali, District Nainital is hereby sanctioned earned leave for 12 days *w.e.f.* 16.08.2016 to 27.08.2016 with permission to prefix 13th, 14th and 15th August 2016 and suffix 28.08.2016 as Sunday holiday.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,
Sd/-
Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

1st September, 2016

No. 245/XIV-25/Admin.A/2008--Ms. Savita Chamoli, Addl. Chief Judicial Magistrate, Kashipur, District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned medical leave for 05 days *w.e.f.* 25.07.2016 to 29.07.2016.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

CHARGE CERTIFICATE

(Handing over on retirement)

August 31, 2016

No. 4424/Admn.(A)-UHC/2016--CERTIFIED that the Office of the Deputy Registrar, High Court of Uttarakhand, Nainital, was transferred on retirement after superannuation, as herein denoted in the afternoon of 31st August, 2016.

GANESH PRASAD DHYANI,

Relieved Officer.

Countersigned,

Sd/-

NARENDRA DUTT,

Registrar General.

कार्यालय सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी पीठ

कार्यभार ग्रहण प्रमाण–पत्र

06 सितम्बर, 2016 ई0

पत्रांक–स0वा0क0अधि0/व्य0प0/कार्यभार/184(II)/2016–प्रमाणित किया जाता है कि उत्तराखण्ड शासन के वित्त अनुभाग–8 के कार्यालय ज्ञाप सं0–737/2016/XXVII(8)/06(100)/2006, दिनांक 01–09–2016 के अनुपालन में सदस्य, वाणिज्य–कर–अधिकरण, हल्द्वानी–पीठ, हल्द्वानी के पद का कार्यभार आज दिनांक 06–09–2016 की पूर्वाह्न में ग्रहण किया गया।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि कार्यालय की कैश बुक के अनुसार स्थाई अग्रिम की धनराशि ₹ 2,500 (रुपये दो हजार पांच सौ मात्र) भी प्राप्त किये गये।

ईश्वर सिंह बृजवाल,

प्रतिहस्ताक्षरित,

(आर0 डी0 पालीवाल), एच0जे0एस0,

अध्यक्ष,

वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तराखण्ड,

देहरादून।

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड

(फार्म–अनुभाग)

विज्ञप्ति

30 अगस्त, 2016 ई0

पत्रांकः 3387/आयु0कर उत्तरा0/फार्म–अनु0/2015–16/आ0घो0प0/खोया/चोरी/नष्ट हुए/दे0दून– उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली–2005 के नियम–30(12) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, मैं, एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर उत्तराखण्ड, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित प्रान्तीय प्रपत्र फार्म–16 जिनके खो जाने/चोरी हो जाने/मिसिंग हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम–30 के उपनियम (9) के अन्तर्गत सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं, को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूँः–

क्र0 सं0	व्यापारी का नाम व पता	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों/स्टैम्प की संख्या	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों/स्टैम्प की सीरीज व क्रमांक	फार्म/स्टैम्प को अवैध घोषित किये जाने का कारण
1.	सर्वश्री राजश्री एण्टर प्राइजेज शिवालिक नगर, हरिद्वार टिन–05013064373	प्ररूप–XVI (02)	U.K.VAT-M2012 2919964 to 2919965	खोने के कारण

विपिन चन्द्र,
एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
मुख्यालय, देहरादून।

विज्ञप्ति

01 सितम्बर, 2016 ई0

पत्रांक 3484/आयु0क0 उत्तरा0/फार्म–अनु0/2016–17/केन्द्रीय फार्म–सी/एफ/खोया/चोरी/नष्ट हुए/दे0दून– केन्द्रीय बिक्रीकर (उत्तराखण्ड) नियमावली, 2006 के नियम–8(13) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, मैं, आयुक्त कर, उत्तराखण्ड निम्नलिखित सूची में उल्लिखित "फार्म–सी", जिनके खो जाने/चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई है, को सार्वजनिक प्रकाशनार्थ अनुमति प्रदान करते हुए इन फार्म्स के प्रयोग को अवैध घोषित करता हूँः–

क्र0 सं0	व्यापारी का नाम व पता व टिन नं0	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की संख्या	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की सीरीज/क्रमांक	फार्म को अवैध घोषित किये जाने का कारण
1.	सर्वश्री सीमेन्ट लि0, रुड़की, टिन नं0–05004155408	(Form–C)–1	U.K.VAT C–2009 0341845	खोने के कारण
2.	सर्वश्री एल0एण्डटी0, उत्तरांचल हाइड्रो पावर लि0 श्रीनगर, टिन–05007271727	(Form–C)–1	U.K.VAT C–2009 0127135	खोने के कारण

रणवीर सिंह चौहान,
आयुक्त कर, उत्तराखण्ड।

NOTIFICATION

September 01, 2016

No. 3484/Com. Tax/Form/Lost/stolen/Destroyed/2016-17/D.Dun--WHEREAS, information have been received regarding Lost/Stolen/Destroyed "Form--C" enlisted below.

I, Commissioner Tax, Uttarakhand in exercise of the powers conferred by Rule 8(13) of Central Sales Tax (Uttarakhand) Rules, 2006, hereby declare that "Form--C" bearing serial no. as listed below, should be considered as invalid for all purposes.

Sl. No.	Name, Address and Tin No. of Dealers	No. of Lost/Stolen/ Destroyed Forms	Sl. No. of Lost/ Stolen or Destroyed Forms	Reasons for declaring the forms obsolete or invalid
1.	M/s. Shree Cement Ltd., Roorkee TIN–05004155408	(Form–C)–1	U.K.VAT C--2009 0341845	Lost
2.	M/s. L&T Uttranchal Hydro Power Ltd., Srinagar, TIN–05007271727	(Form–C)–1	U.K.VAT C--2009 0127135	Lost

RANVIR SINGH CHAUHAN,
Commissioner Tax, Uttarakhand.

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर (चम्पावत)

आदेश

30 जून, 2016 ई0

पत्रांक 1413/पंजीयन निरस्त/2016–17–वाहन संख्या UP25G--9315, मॉडल 1995, चेसिस नं0 360324CUQ108459, इंजन नं0 697D23CUQ112831, इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन स्वामी श्री अनिल अग्रवाल पुत्र श्री जगदीश सरन, निवासी हाथीखाना, वार्ड नं0 5, इन्द्रानगर, खटीमा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पर दर्ज है, वाहन स्वामी ने दिनांक 20.05.2016 को आवेदन–पत्र के साथ मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न होने के कारण वाहन को काट कर समाप्त कर दिया गया है, साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, रश्मि भट्ट, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर (चम्पावत), केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 30.06.2016 को वाहन संख्या UP25G--9315, चेसिस 360324CUQ108459, तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

आदेश

30 जून, 2016 ई0

पत्रांक 1413A/पंजीयन निरस्त/2016–17–वाहन संख्या UP26--8400, मॉडल 1990, चेसिस नं0 364052037075, इंजन नं0 692D02046769, इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन स्वामी श्री अनिल अग्रवाल पुत्र श्री जगदीश सरन, निवासी हाथीखाना, वार्ड नं0 5, इन्द्रानगर, खटीमा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पर दर्ज है, वाहन स्वामी ने दिनांक 20.05.2016 को आवेदन–पत्र के साथ मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न होने के कारण वाहन को काट कर समाप्त कर दिया गया है, साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, रश्मि भट्ट, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर (चम्पावत), केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 30.06.2016 को वाहन संख्या UP26--8400, चेसिस संख्या 364052037075, तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

रश्मि भट्ट,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
टनकपुर (चम्पावत)।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रप्रयाग

आदेश

04 जुलाई, 2016 ई0

संख्या 370/पंजीयन निरस्त/2015–16–वाहन संख्या UK13CA--0190 (G/V), मॉडल 2011, चेसिस नं0 MAT455211B8H33580, इंजन नं0 497SPTC39HYY640115, इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन स्वामी श्री कमल लाल पुत्र श्री कृपालु लाल, ग्राम व पो0 क्यार्क बरसूडी, जिला रूद्रप्रयाग के नाम दर्ज है, वाहन स्वामी ने अपने वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु आवेदन किया। चूँकि इनका उक्त वाहन दिनांक 31.05.2015 को जनपद रूद्रप्रयाग क्षेत्रान्तर्गत स्थान बसुकेदार से 02 कि0मी0 आगे सैतोली गदरे में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उक्त वाहन फाइनेन्स मुक्त है तथा वाहन का चेसिस का टुकड़ा कार्यालय में जमा किया गया है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है तथा उक्त वाहन मार्ग पर संचालन योग्य नहीं है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं पंकज श्रीवास्तव, प्रभारी सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रप्रयाग, केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 04.07.2016 को वाहन संख्या UK13CA--0190 (G/V), का पंजीयन चिन्ह तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

पंकज श्रीवास्तव,
प्र0 सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

कार्यालय निदेशक पंचायतीराज, उत्तराखण्ड, देहरादून

अधिसूचना

03 सितम्बर, 2016 ई0

संख्या–1143/3–पं0/ग्रा0पं0/2016–17–शहरी विकास अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 1294/IV(3)/2016–01(12)/2014, दिनांक 22 अगस्त, 2016 द्वारा नगर पंचायत, चौखुटिया, जनपद अल्मोड़ा के गठन की अधिसूचना संख्या 184/IV(1)/2014–01(12)/2014, दिनांक 07 अक्टूबर, 2014 को निरस्त किया गया है, के क्रम में निदेशालय पंचायतीराज की अधिसूचना संख्या 1878/पं0–3/ग्रा0पं0पुनर्ग0/2014–15, दिनांक 09 मार्च, 2015 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

अधिसूचना

03 सितम्बर, 2016 ई0

संख्या 1144/3–पं0/ग्रा0पं0/2016–17–शहरी विकास अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 1293/IV(3)/2016–01(10)/2014, दिनांक 22 अगस्त, 2016 द्वारा नगर पंचायत, मुनस्यारी, जनपद पिथौरागढ़ के गठन की अधिसूचना संख्या 183/IV(1)/2014–01(10)/2014, दिनांक 07 अक्टूबर, 2014 को निरस्त किया गया है, के क्रम में निदेशालय पंचायतीराज की अधिसूचना संख्या 1880/पं0–3/ग्रा0पं0पुनर्ग0/2014–15, दिनांक 09 मार्च, 2015 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

सुशील कुमार,
निदेशक।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 38 हिन्दी गजट/452–भाग 1–क–2016 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 17 सितम्बर, 2016 ई0 (भाद्रपद 26, 1938 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

मेरे शैक्षिक प्रमाण–पत्रों में मेरे पिता का नाम DHARMENDRA BISHT दर्ज हो गया जो गलत है मेरे पिता का सही नाम DHARMAHENDRA SINGH है।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

जसवीर बिष्ट पुत्र धमेन्द्र सिंह निवासी
भानियावाला, डोईवाला, देहरादून।

सूचना

मेरे पति जनार्दन प्रसाद शर्मा के सेवा अभिलेखों में त्रुटि से मेरा नाम श्रीमती मनोरमा देवी अंकित है। जबकि मेरा वास्तविक नाम रमा शर्मा है। भविष्य में मुझे रमा शर्मा के नाम से जाना व पहचाना जाये। समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

रमा शर्मा पत्नी श्री जनार्दन प्रसाद शर्मा
निवासी 327–ए नैशविला रोड, देहरादून।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 38 हिन्दी गजट/452–भाग 8–2016 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।